Order Sheet [Contd] Case No 30/2017 बी.ए

		Case 110 30 / 2017 41.5	
	Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	19-01-2017	आवेदक / आरोपी हरीश की ओर से श्री महेशचंद्र श्रीवास्तव अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। अधीनस्थ जे.एम.एफ.सी न्यायालय गोहद से प्र0क0 278/2011 ई.फी. शासन मी वि० हरीश का मूल अभिलेख प्राप्त। आवेदक / आरोपी की ओर से अधिवक्ता श्री महेशचन्द्र श्रीवास्तव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा०फी० का पेश कर निवेदन किया कि आवेदक / आरोपी उसके विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में संचालित प्रकरण में पूर्व पेशी पर अपना व परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजदूरी पर बाहर चला गया था जिस कारण न्यायालय में पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका था। आवेदक / आरोपी के अभिभाषक श्री ओपी. यादव का आकस्मिक निधन हो जाने एवं माँ का निधन हो जाने से वह न्यायालय में उपस्थित नहीं सका था जिस कारण न्यायालय के द्वारा उसके जमानत मुचलके जप्त किये गए है। आवेदक / आरोपी के द्वारा विनांक 10.01.2017 को स्वयं न्यायालय में समर्पण किया है। वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः उसे उचित नियमित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया गया। आरोपी जिसके विरुद्ध धारा 294, 506 भाग—2 भा.द.वि के अंतर्गत विचारण चल रहा था। दिनांक 18.11.2014 को जब कि प्रकरण आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 216 जा.फी. पर तर्क हेतु नियत था आरोपी अनुपस्थित हो गया है जिस कारण उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट का आदेश हुआ है। तत्पश्चात् उसे स्थाई गिरफ्तारी वारंट का आदेश हुआ है। तत्पश्चात् उसे स्थाई गिरफ्तारी वारंट का आदेश हुआ है। तत्पश्चात् उसे स्थाई गिरफ्तारी वारंट का आदेश हुआ है। तत्पश्चात् उसे स्थाई गिरफ्तारी वारंट का असे अभिरक्षा	A TITE OF THE PARTY OF THE PART
L		<u>'</u>	

में भेजा गया है।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से व्यक्त किया कि उसके द्वारा पूर्व में नियुक्त अभिभाषक ओ.पी.यादव के आकिस्मक निधन हो जाने के कारण उनके द्वारा पेशी की सूचना नहीं मिल पाई थी इस कारण वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाया था। इस संबंध में आवेदक के द्वारा अनुपस्थित का जो उपरोक्त कारण बताया जा रहा है यद्यपि उचित होना नहीं कहा जा सकता है, किन्तु प्रकरण जो कि अभी प्रारंभिक स्टेज पर है एवं आरोपी दिनांक 16.01. 2017 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। आरोपी के द्वारा जमानत प्रावधानों का प्रथम उल्लेखन है।

विचारोपरांत प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक की ओर से संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य 40,000 / — (चालीस हजार रूपए) रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र इस आशय का पेश हो कि प्रत्येक तिथि दिनांक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा प्रकरण के निराकरण में पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा तो उसे जमानत पर छोडे जाने का आदेश दिया जाता है। आरोपी के पूर्व के मुचलके में से राशि जप्त करने हेतु विचारण न्यायालय स्वतंत्र रहेगा।

आदेश की प्रति सहित मूल अभिलेख बापस अधीनस्थ न्यायालय ्रार्ड अभिलेखागार (डी०सी०थपलियाल) ए.एस.जे. गोहद को भेजा जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

WITHOUT PROTOTO STATE OF STATE

WITHOUT PATERS BUILTING BUILTI